मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/ 11177 /NREGA-MIS/NR-10/2009 भोपाल, दिनांक 13/8/2009

प्रति

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.
समस्त जिले, म.प्र.

विषयः– लेबर बजट तैयारी वर्ष 2010–2011

आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंट योजना अंतर्गत लेबर बजट वित्तीय वर्ष 2010–11 तैयार करने हेतु भारत सरकार के लेबर बजट 2009–10 तैया करने हेतु निर्देश क्रं. D.O. No.J-11011/14/2007-NREGA (Pt) Date : 3rd September 0 तथा D.O. No.K-11011/2/2008-NREGA (MON) Dated : December 10, 2008 (संलग्न का अवलोकन करें। इस संबंध में म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा समय–समय पर कार्यशाला एवं वीडिय कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेबर बजट तैयार करने हेतु मार्गदर्शन दिए जा चुके हैं।

1. भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत का लेबर बजट तैयार किया जाना तथ उसे ग्राम पंचायत की ग्राम सभा, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की सामान्य सभा में अनुमोदन किय जाना अनिवार्य है। तदुपरान्त जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित लेबर बजट 2010–11 को माह जनवरी तक भारत सरकार को प्रेषित करना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत बजट का आवंटन क आधार लेबर बजट होता है।
2. आगामी पंचायतों राज चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए योजनांतर्गत लेबर बजट 2010–11 की भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा से पूर्व तैयारियाँ करना आवश्यक है। इस हेतु कृपया निम्नानुसार समय सीमा में कार्यवाई करने का कष्ट करें।

सरल क्रं	लेबर बजट हेतु गतिविधि	भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा	चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित समय–सीमा
01	ग्राम सभाओं का आयोजन कराना तथा ग्राम पंचायतों की रोजगार की मांग का आंकलन तथा वार्षिक कार्यों का चयन व प्राथमिकता का निर्धारण कर ग्राम सभाओं में अनुमोदन कराना।	प्रत्येक वर्ष अक्टूबर की ग्राम सभा	15 अगस्त 2009 से आयोजित होने वाली ग्राम सभा

(51)

	समस्त ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित लेबर बजट को तथा जनपद स्तर के कार्यों का चयन एवं प्राथमिकता का निर्धारिण कर जनपद पंचायत की सामान्य सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना तथा 15 दिवस के अंदर, अनुमोदन कराना।	नवम्बर तक तृतीय सप्ताह	अगस्त चतुर्थ सप्ताह
03	जनपद के अनुमोदित लेबर बजट को जिला पंचायत को प्रेषित करना।	नवम्बर माह के अंत तक	सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक
04	जनपद द्वारा प्रस्तुत शेल्फ ऑफ प्रोजक्ट तथा लेबर बजट तथा जिला पंचायत के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देना।	दिसम्बर माह का तृतीय सप्ताह	सितम्बर माह का द्वितीय सप्ताह तक
05	ग्राम पंचायतों की लेबर प्रोजेक्शन तथा ग्राम पंचायत, जनपद स्तर तथा जिला स्तर तक के कार्यों का चयन तथा प्राथमिकता तय कर जिले का शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तथा लेबर बजट का जिला पंचायत से अनुमोदन।	31 दिसम्बर तक	30 सितम्बर तक
06	जिलों द्वारा जिला पंचायत से अनुमोदित लेबर बजट को राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को प्रेषित करना।	15 जनवरी तक	15 अक्टूबर तक

लेबर बजट के कैलेंडर में संशोधन इस कारण किया जा रहा है कि समस्त जिलों का लेबर बजट पंचायत चुनाव 2009 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से पूर्व तैयार किया जा सके तथा भारत सरकार को जिले का लेबर बजट समय–सीमा में प्रेषित किया जा सके। लेबर बजट के संबंध में मार्गदर्शन हेतु म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के संयुक्त आयुक्त प्रशासन या सिस्टम एनालिस्ट से संपर्क किया जा सकता है।

(आर.परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विभाग
12/08/09

पृ.क्र./11178/NREGA-MIS/NR-10/2009 भोपाल, दिनांक 13/8/2009

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, एन.आर.ई.जी.एस. म.प्र., समस्त जिला पंचायत म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपायुक्त, विकास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आर.परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विभाग
12/08/09

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक/12795/MIS/NR-10 भोपाल, दिनांक 05/10/09

प्रति

1. **समस्त कलेक्टर,**
   जिला समस्त
   जिला.....
2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत (समस्त)
   जिला .....

विषय :– लेबर बजट 2009–10 पुनरीक्षित करने के संबंध में।

संदर्भः– ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के **D.O.No. : G-20011/2/2009-NREGA, 18TH September, 2009.**

———0———

विषयांतर्गत ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में लेबर बजट वित्तीय वर्ष 2009–10 को विगत छः माह की प्रगति तथा अगामी छः माह के रोजगार की मांग के आंकलन के आधार पर पुनरीक्षित किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह अप्रैल 09 से सितम्बर 09 तक की प्रगति एवं माह अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 तक रोजगार की मांग एवं राशि का आंकलन को ग्राम सभाओं में पुनरीक्षित किया जाना है।

जिलों में 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उक्त ग्राम सभाओं में अर्द्धवार्षिक लेबर बजट वित्तीय वर्ष 2009–10 पुनिरीक्षण हेतु प्रस्तुत कराकर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों से अनुमोदित कराया जाय । उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लेबर बजट 2009–10 हेतु आगामी 6 माहों में (अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 तक) रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कार्यों हेतु रोजगार की मांग , किये जाने वाले कार्यो एवं राशि की जिले की आवश्यकतो को लेबर बजट की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में 15 अक्टूबर 2009 तक परिषद् कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

निर्देशानुसार प्रस्ताव के साथ कलेक्टर/डीपीसी का इस आशय का प्रमाण होना आवश्यक है ही, माह अक्टूबर 2009 से मार्च 2010 तक पुनरीक्षित लेबर बजट का अनुमोदन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से करा लिया गया है।

3.10.09

(ए.के.सिंह)

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./1664 /MIS/एनआर–10/NREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 22/02/2010

प्रति,

1. जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत ..... (समस्त)

विषय :– लेबर बजट वर्ष 2010–11 में वर्क प्रोजेक्शन पुनरीक्षित करने बाबत्।

———0———

भारत सरकार को प्रेषित किए जाने वाले वार्षिक लेबर बजट की जानकारी प्रपत्र–3अ एवं 3ब में प्रेषित की जाती है। प्रपत्र "1अ से 3अ" में रोजगार की मांग करने वाले परिवारों तथा सृजित होने वाले मानव दिवस तथा व्यय की जानकारी होती है तथा प्रपत्र "1ब से 3ब" में वित्तीय वर्ष में लिए जाने वाले कार्यों, उनसे सृजित होने वाले मानव दिवस तथा व्यय होने वाली राशि का उल्लेख होता है।

मध्यप्रदेश शासन के निर्णय अनुसार 2013 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से अछूते बसाहटों के लिए एमजीएनआरईजीए योजनांतर्गत सड़कों का निर्माण किया जाना है। तदनुसार जिलों द्वारा वर्ष 2010–11 में लिए जाने वाले बारहमासी सड़क कार्यों को चिन्हांकित किया जा चुका है। यथासंभव उक्त बारहमासी सड़कें वार्षिक एस.ओ.पी. में सम्मिलित कर ली गई होगी।

जिलों द्वारा पूर्व में प्रेषित वर्क प्रोजेक्शन में बारहमासी सड़क का प्रावधान नहीं किया गया है। अतः अनुरोध है कि लेबर बजट वर्ष 2010–11 में वर्क प्रोजेक्शन के प्रपत्र 1ब से 3ब पुनरीक्षित कर भेजने का कष्ट करें। इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक 19 फरवरी 2010 को जिलों को निर्देश दिए जा चुके हैं।

जिलों के लेबर बजट 2010–11 के संबंध में भारत सरकार के समक्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में द्वारा प्रस्तुतीकरण किए जाने की संभावना है। अतः अनुरोध है पुनरीक्षित लेबर बजट वर्ष 2010–11 अनिवार्य रूप से 28 फरवरी 2010 तक भेजना सुनिश्चित करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रं./2707 /MIS/एनआर–10/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 18/03/10

प्रति,

1.कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम समन्वयक

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी /अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम
जिला ..... (समस्त 50 जिले)

विषयः– लेबर बजट वित्तीय वर्ष 2010–11 बाबत्।

सन्दर्भः– सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का अर्द्व शास. पत्र क्र./k-11011/2/2008-NREGA(Mon)/TS दि. 11 मार्च 2010

——0——

सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र (संलग्न) के निर्देशनुसार दिनांक 30 मार्च 2010 को नई दिल्ली में मध्यप्रदेश द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जिलों के लेबर बजट 2010–11 के अनुमोदन हेतु चर्चा की जाना है।

परिषद द्वारा जिलों द्वारा विगत वर्षो विशेषकर वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 (माह–जनवरी 10) की उपलब्धि के आधार पर प्रेषित लेबर बजट वर्ष 2010–11 का परीक्षण किया गया। तथा परीक्षण उपरांत जिले की वित्तीय वर्ष 2010–11 में योजनांतर्गत रोजगार की मांग करने वाले परिवारों, उनके सृजित किये जाने वाले मानव दिवसों के आधार पर होने वाले प्रस्तावित व्यय का प्रस्ताव (संलग्न) तैयार किया गया है जिस पर उक्त बैठक में भारत सरकार के समक्ष चर्चा की जावेगी।

लेबर बजट 2010–11 के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जिले द्वारा परिषद द्वारा प्रस्तावित लेबर प्रोजेक्शन (संलग्न) अनुसार माहवार समस्त ग्राम पंचायतों का लेबर प्रोजेक्शन तथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत का वर्क प्रोजेक्शन तैयार किया जाये। इस संबंध में जिले के सुझाव/जानकारी से परिषद को दिनांक 19 मार्च 2010 तक अवगत कराया जा सकता है।

परियोजना अधिकारी एनआरईजीए का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उक्तानुसार लेबर बजट की हस्ताक्षरित प्रति दिनांक 21 मार्च 2010 तक एम.आई.एस. प्रभारी को उपलब्ध करायेंगे तथा उक्त लेबर बजट को एन.आर.ई.जी.ए. पोर्टल (www.nrega.nic.in) पर दिनांक 23 मार्च 2010 तक अनिवार्य रूप से आनलाइन फीड कराना सुनिश्चित करें। लेबर बजट के समय पर आनलाइन फीड न होना अथवा त्रुटिपूर्ण फीड होने पर उनका उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक 25 एवं 26 मार्च को परिषद में बैठक आयोजित की गई है। बैठक का कार्यक्रम एवं एजेण्डा बिन्दु संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(ए.के.सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

लेबर बजट 2010–11 पर चर्चा हेतु कार्यक्रम

क्र.	जिले का नाम	दिनांक	समय
1	बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, धार, डिण्डौरी, खण्डवा, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, मण्डला, सतना, सिवनी	25.03.2010	10:30 बजे 1.30 बजे तक
2	शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरोली, टीकमगढ़, उमरिया, अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया	25.03.2010	2:30 बजे से 5:30 बजे तक
3	देवास, गुना, हरदा, कटनी, पन्ना, राजगढ़, रीवा, भिण्ड, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर	26.03.2010	10:30 बजे 1.30 बजे तक
4	जबलपुर, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, रतलाम, सागर, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, विदिशा	26.03.2010	2:30 बजे से 5:30 बजे तक

CHECK LIST FOR LABOUR BUDGET FY 2010-11 as per GoI instruction.

SNo.	Milestones	Status (YES/ NO)
	PLANNING OF WORKS	
1.	Was the Gram Sabha convened for recommendation of a shelf of works?	
2.	Was the Gram Sabha recommended works with priorities to the Gram Panchayat (GP) to prepare an annual shelf of works?	
3.	Did the Gram Panchayat consolidate all Gram Sabha recommendations into Gram Panchayat Annual Plan and submitted to Intermediate Panchayat.	
4.	Was the GP and Block Plan approved by the Intermediate Panchayats?	
5.	Has District Panchayat approved the Block wise shelf of projects/ District Annual Action Plan?	
6.	Was the priority of works maintained?	
	LABOUR DEMAND ESTIMATION	
1.	Was the Labour demand estimation done monthwise?	
2.	Does the Labour Budget clearly indicate the basis on which Labour demand estimation has been done?	
3.	Is the shelf of projects adequate to meet the Labour demand?	
4.	Has the 60:40 wage material ratios being maintained?	
	ENTRY OF LABOUR BUDGET INTO MIS	
1.	Was all the Labour and work projections estimated in the Labour Budget entered in to the MIS?	
2.	Does the priority of the work as decided in the Gram sabha maintained while entering into MIS?	
3.	Does all the works entered into MIS are from District Annual Action Plan and duly approved by District Panchayat?	
4.	Was signed scanned copy of the minutes of Gram Sabha meeting held for the planning of works uploaded in to MIS?	

उक्त बैठक म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, नर्मदा भवन, भोपाल में आयोजित की गई है तथा लेबर बजट हेतु परिषद के नोडल अधिकारी– उवैस अहमद, सिस्टम एनालिस्ट हैं। परिषद में एनआरईजीए पोर्टल पर फीड किए गए लेबर बजट 2010–11 पर उपरोक्त चेकलिस्ट अनुसार जिलों से चर्चा की जायेगी जिसमें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के परियोजना अधिकारी, वरिष्ठ डाटा प्रबंधक/एम.आई.एस. प्रभारी उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

(ए.के.सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल